

न्यायिक कार्य स्वयं/बाह्यकार रखने से पत्रावली दिनांक 14.5 को पेश हो।

14.5-24

पत्रावली भेज हुई, अभिभावकमण द्वारा न्यायिक कार्य स्वयं/बाह्यकार रखने से पत्रावली दिनांक 6.6 को पेश हो।

6.6-24

पत्रावली पेश हुई वकील पार्सी उपस्थित विपक्षी सं. 1, 2, 4, 5, 6 के सम्मन वाड वा मिल होकर प्राप्त हुए जिसे शाब्दिक विवेकाये वकील पार्सी विपक्षी सं. 3 के विकट कोर्ष कार्यवाही नहीं चाहते हैं विपक्षीगण की कितनी मर्तवा कक कक कर भावाये उलामी जाने के वाड की अनुपस्थित। इनके विकट एवु तरफा कार्यवाही किये जाने का अडिशा दिया जाता है वकील पार्सी का ज्ञापन स्वीकार किया जाकर विक्रम प्रयक से लिखा जाकर शाब्दिक पठ किया गया। पत्रावली के लल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

विपक्षी सं. 3 के विकट कोर्ष कार्यवाही नहीं चाहते हैं
Sharma

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा



नम्बर
अहकाम
कुम्ब की
में जा

राजस्थान - सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाड़ा

गोठालीन अधिकारी- मनोज, आर.ए.एस.

कदमा संख्या - 61/23 प्रा-पत्र

श्री रतन लाल शं. श्री सोहन कुमार गिवासी-वागोर तहसील माण्डल

बनाम

श्री बालुराम शं. श्री बेशीलाल गहाजन गिवासी-वागोर तहसील माण्डल
(प्रमाणित प्रा-पत्र संख्या)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक:- 6-6-24

::आदेश::

प्राथी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि
म. वागोर पटवार हल्का वागोर तहसील माण्डल में उसके खाते / संयुक्त खाते की आराजी नं. 439 कुल किता. 01 रकबा. 0.1265 हेक्टर स्थित है। वादग्रस्त भूमि विपक्षीय के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता जाता है। जिसमें प्राथी अपने खाते / संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 05.05.23 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को पलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्राथी एवं कब्जे काश्त काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुए न्यायिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्राथी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर प्रा. वागोर पटवार हल्का वागोर तहसील माण्डल में उसके खाते / संयुक्त खाते की आराजी नं. 439 कुल किता. 01 रकबा. 0.1265 हेक्टर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी दिली जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक वागोर को 500 रुपये/- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खड़ी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल भीलवाड़ा

प्रतिलिपि:- तहसीलदार माण्डल को भेजाकर लेख है कि प्राथी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल भीलवाड़ा